

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी—

अमानुल्लाह खान,

आर.ए.एस.

मिसल संख्या

तारीख दायरा

तारीख फैसला

02/अपील/20

07.01.2020

10.11.2020

रामलाल आ० भीवा जाति मीणा नि० मोरला मजरा ग्राम किशनगंज उप
तहसील दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बूंदी

—अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार दबलाना

—रेस्पोडेन्ड

उपरिथत—

अपीलान्त की ओर से श्री प्रेमशंकर एड०

रेस्पो० की ओर से परोकार सरकार

निर्णय

यह अपील नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2017 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलान्त को भूमि खसरा सं. 165 रकबा 4 बीघा किस्म चारागाह भूमि ग्राम टांका की झोपडियां का अतिचारी मानते हुए बेदखली, 400 रु. शास्ति तथा 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो० तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्त की विधिवत् तामील नहीं हुई है। सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है। बिना किसी साक्ष्य के अपीलान्त को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलाधीन आदेश दोषपूर्ण है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जावें।


परोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्त ने चरागाह भूमि पर अतिचार किया है। वह बार-बार अतिचार करने का आदि है, जिसे पूर्व में बेदखल किया जा चुका था। अपीलान्त को विधिवत् नोटिस जारी किया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक दोष नहीं है। अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत अतिक्रमण रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त द्वारा भूमि खसरा सं. 165 रकबा 4 बीघा किस्म चारागाह भूमि पर अतिचार किया जाना प्रमाणित है। बयान पटवारी हल्का के अनुसार अपीलान्त द्वारा पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिचार किया था, जिसको बेदखल कर दिया गया था। अपीलान्त बार-बार भूमि पर अतिचार करने का

अति० जिला कलक्टर
बूंदी (राज०)

है, किन्तु फिर भी अपीलान्त के प्रति न्यायहित को दृष्टिगत रखकर नरमी का रूख अपनाते हुए आदेश दिये जाते हैं कि यदि अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि पर से कब्जा छोड़ने एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दे तथा भूमि पर से कब्जा छोड़ दे तो अपीलाधीन आदेश द्वारा पारित सिविल सजा का आदेश निरस्त रखा जावे। ऐसा नहीं करने की स्थिति में अपीलाधीन आदेश यथावत् रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर कराई जावे।

आदेश आज दिनांक 10.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


अति० जिला कलेक्टर,
अति० जिला कलेक्टर
बूंदी (सज०)